

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - शेडर/19/ 176

दिनांक 28/8/19

:- आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(मुष-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- केलू

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00290	3680 30.07.2019	केलू	96	07-18-00	आबी 3	96/1	00-05-00	गै.मु. रास्ता
2	2019/00290	3680 30.07.2019	केलू	115	996-18-00	बीड़	115/1	06-11-00	गै.मु. रास्ता
3	2019/00291	3679 30.07.2019	केलू	589/1	160-15-00	गै.मु. पहाड	589/1	04-09-00	गै.मु. रास्ता
4	2019/00291	3679 30.07.2019	केलू	613	25-10-00	गै.मु. पहाड	613/1	01-03-00	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

